परिवार के पांचों सदस्यों का एक साथ हुआ अंतिम संस्कार

एनएच -30 पर देर रात भीषण सड़क दुर्घटना में हुई मौत, छठवें की हालत गंभीर

नवभारत न्यूज

सतना, 7 जुलाई. मैहर जिले के नादन क्षेत्र अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 30 पर ग्राम रिगरा के निकट सोमवार-मंगलवार की रात हुए भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के 5 सदस्यों की मौत हो गई. जबकि गंभीर तौर पर घायल परिवार के छठवें सदस्य का उपचार जबलपुर में जारी है. मंगलवार को जब सभी मृतकों की अर्थियां एक साथ उठीं तो

परिजनों के करुण क्रंदन के साथ-साथ क्षेत्र के सभी लोगों की आंखें भर आईं.

प्राप्त जानकारी के अनुसार मैहर के पूर्व विधायक स्व. लालजी पटेल के परिवार के आधसा दर्जन सदस्य सोमवार की देर शाम जनपद उपाध्यक्ष अमरपाटन मनोज पटेल के जन्म दिवस पर आयोजित समारोह में सम्मिलित होने के लिए गए थे. जहां से सभी 6 लोग एक्सयूवी वाहन क्र. एमपी 13 एल 1887 में सवार होकर वापस लौटने लगे. बताया गया कि देर रात जैसे ही उनका वाहन राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 30 पर ग्राम रिगरा के निकट पहुंचा वैसे ही आगे-आगे चल रहे ट्रक के पिछले हिस्से से जा टकराया. टक्कर इतनी जबरदस्त

थी कि न सिर्फ आस पास के क्षेत्र तक धड़ाम की आवाज सुनाई दी बल्कि कार के अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गए. स्थानीय रहवासियों की सूचना पर डायल 112, हाईवे पेट्रोलिंग, 108 एंबुलेंस और एनएच एंबुलेंस 1033 और देहात थाना प्रभारी पंचराज सिंह समेत पुलिस बल मौके पर पहुंच गया. आनन-फानन में कार सवार सभी लोगों को अमरपाटन स्थित स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया. जहां पर जांच करने पर ड्यूटी डाक्टर द्वारा अंकुर पटेल 39, मृदुल पटेल 32, विजय पटेल 32, हरिशंकर पटेल 28 सभी निवासी ग्राम तनाजा और संजीव पटेल 23 निवासी नरोरा का मृत घोषित कर दिया गया. जबकि गंभीर तौर पर घायल ओम पटेल की हालत को देखते हुए जबलपुर के लिए रेफर कर दिया गया. जहां पर उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है. घटना की गंभीरता के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक मैहर अवधेश प्रताप सिंह सहित अन्य पुलिस अधिकारियों ने घटना स्थल का निरीक्षण किया.

जुटाए जा रहे साक्ष्य

प्रारंभिक तौर पर भीषण दुर्घटना का कारण एक्सयूवी वाहन का तेज रफ्तार होना बताया जा रहा है. थाना प्रभारी के अनुसार पुलिस द्वारा दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए तकनीकी व अन्य साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं. वहीं दूसरी ओर ट्रक चालक चितरंजन दास के अनुसार उस दौरान वे 40-45 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से वाहन चला रहे थे. तभी पीछे से जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी. जिसके चलते जहां ट्रक के पिछले दोनों टायर खराब हो गए और वह पलटने से बचे. कार के अगले और ट्रक के पिछले हिस्से की हालत को देखते हुए रफ्तार का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है.

गांव में नहीं जला चूल्हा

सड़क हादसे में एक ही परिवार के 5 सदस्यों की मौत हो जाने के बाद मंगलवार को जब सभी मृतकों की अर्थियां एक साथ उठीं तो एक ओर जहां परिजनों के बीच कोहराम मच गया. वहीं दूसरी ओर वहां पर मौजूद सैकड़ों लोगों की आंखे नम हो गईं. श्मशान में एक साथ सजी पांचों चिताओं के अंतिम संस्कार के दौरान वहां मौजूद हजारों लोग गमगीन हो गए. इस घटना से व्यथित गांव में मंगलवार को चूल्हा तक नहीं जला. परिजनों के अनुसार मृतकों में अंकुर खेती के साथ व्यवसाय करते थे. जबकि मृदुल वेयर हाउस का संचालन देखते थे. इसी कड़ी में विजय पटेल जबलपुर में नौकरी करते थे. इसके अलावा हरिशंकर जहां खेती तो संजीव नौकरी करते थे.

रीवा की 9, मऊगंज की 1 नगर परिषद् में एल्डरमैन नियुक्त

नगरीय प्रशासन व आवास मंत्रालय से जारी हुए आदेश

नवभारत न्यूज

सतना, 7 जुलाई. नगरीय प्रशासन व आवास विभाग ने रीवा जिले व मऊगंज जिले की नगर परिषद् में एल्डरमैन नियुक्त किये जाने के आदेश जारी कर दिये हैं. मंगलवार को विभाग के उपसचिव प्रमोद कुमार शुक्ला के हस्ताक्षर से जारी सूची में रीवा जिले की 9 व मऊगंज जिले एक नगर परिषद् में एल्डरमैन की नियुक्त को अंतिम रूप दे दिया गया है.

रीवा जिले की बैकुण्ठपुर में 4 सदस्यों को एल्डरमैन नियुक्त किया गया जिनमें कैलाश बारी, बहादुर सिंह, श्रीमती सीमा पाण्डेय और सतीश रजक शामिल हैं. सिरमौर नगर परिषद् में उर्मिला सिंह सविता कोल लालपति लोध लीलावती विश्वकर्मा को मौका दिया गया है. डभौरा नगर परिषद् में ब्रजनाथ साहू, ज्योति केशरवानी, भूपनारायण मिश्रा और गीता देवी विश्वकर्मा, सेमरिया नगर परिषद में बनारसीदास गुप्ता, मुकेश कुशवाहा, विमलेश द्विवेदी, राजकुमार सेन, त्योथर में सतीश तिवारी, डा. मलेश्वर सिंह, पुष्पादेवी आदिवासी और अभयनाथ श्रीवास्तव शामिल हैं. चाकघाट नगर परिषद् में उमाशंकर केशरवानी, सौखीलाल सोनी, दीपिका नामदेव और पंकजदत्त त्रिपाठी, मनगवां में पूनम बंशल, कुसुमलता वर्मा, भागवत प्रसाद द्विवेदी, लवकुश गुप्ता, गोविन्दगढ़ में नरेन्द्र विधौलिया, ब्रम्हानंद पाण्डेय, श्रीनिवास साकेत और शैलेन्द्र सोनी शामिल हैं. गुढ़ नगर परिषद् में संभू प्रसाद लोनिया, शैलेन्द्र कुमार बंशल, खुशबू कोरी, रामप्रसाद गुप्ता एवं मऊगंज जिले की एक नगर परिषद नईगढ़ी में श्यामसुंदर गुप्ता, ललित कुमार पटेल विजयशंकर यादव और रामपाल सिंह को एल्डरमैन नियुक्त किया गया है.

दूषित पानी को लेकर बड़ी कार्रवाई

रोजल सिंह हटाए गए, राहुल पटेल को कमान

नवभारत न्यूज

सतना, 7 जुलाई. शहर में पिछले एक सप्ताह से हो रही लगातार दूषित और गंदे पानी की सप्लाई ने जनता का जीना मुहाल कर दिया है.

वाटर फिल्टर प्लांट से अशुद्ध पानी की सप्लाई किए जाने के मामले में आखिरकार नगर निगम प्रशासन ने बड़ी लापरवाही मानते हुए गाज गिरा दी है. निगम प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए जल प्रदाय अधिकारी रोजल सिंह को उनके पद से तत्काल प्रभाव से हटा दिया है. शहर की चरमराई जलापूर्ति व्यवस्था को पटरी पर लाने का जिम्मा अब प्र. कार्यपालन यंत्री राहुल पटेल को सौंपा गया है. इसके साथ ही दैनिक पानी की आपूर्ति की क?ाई से निगरानी, पेयजल की शुद्धता की जांच और स्कॉडा रिपोर्ट की बारीकी से समीक्षा करने के लिए उपयंत्री अतुल सिंह को प्रभारी नियुक्त किया गया है. वहीं अगर सरकारी कागजों पर नजर डालें तो नगर निगम के लगभग 155 कर्मचारी शहर की पानी आपूर्ति व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए तैनात हैं और इन कर्मचारियों को बाकायदा निगम की ओर से दैनिक भत्ता भी दिया जा रहा है.लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है क्योंकि हफ्तों से लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं. ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि आखिर यह 155 कर्मचारियों की फौज किस जगह और क्या कार्य कर रही है? इस पूरे मामले में सबसे बड़ा और गंभीर सवाल यह है कि जब शहर की जल प्रदाय व्यवस्था का कार्य पहले ही एक निजी कंपनी को ठेके पर दिया जा चुका है, तो फिर निगम के इतने सारे कर्मचारियों को किस बात का भुगतान किया जा रहा है. निगम के 155 कर्मचारियों के भारी-भरकम अमले और निजी ठेकेदार की मौजूदगी के बावजूद शहरवासियों को सप्ताह भर से गंदा और बदबूदार पानी पीने पर मजबूर होना पड़ रहा है.

इनका कहना है

वाटर फ्लिटर प्लांट की समस्या बनी हुई है दो से तीन दिन बाद पुन: शुद्ध पानी की सप्लाई हो जाएगी

शेर सिंह मीना
आयुक्त नगर निगम

रीवा पुलिस ने पकड़ी एमडी ड्रग्स की बड़ी खेप, दो आरोपी गिरफ्तार

3087 ग्राम एमडी ड्रग्स जब्त, रीवा एसपी ने किया खुलासा

नवभारत न्यूज

रीवा, 7 जुलाई, मऊगंज के बाद 24 घंटे के अंदर रीवा पुलिस ने एमडी ड्रग्स की बड़ी खेप पकड़ने के साथ दो सप्लायरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है.

आरोपियों के पास से 3087 ग्राम अवैध मादक पदार्थ एमडी ड्रग्स बरामद किया गया है. जिसकी अन्तर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 10 करोड़ आकी गई है. यह कार्यवाही जिले के गढ़ थाना अन्तर्गत सोनवर्षा गांव में सोमवार की शाम की गई है. आरोपियों से पूंछताछ के दौरान कई अहम खुलासे हुए है. यूपी और महाराष्ट्र से भी कनेक्शन सामने आया है. आरोपियों से मिली अहम जानकारी के बाद पुलिस पूरे रैकेट

के तह तक जाने में लगी हुई है.

प्राप्त जानकारी के मुताबिक मऊगंज में हुई कार्यवाही के बाद पकड़े गये आरोपियों से कई अहम जानकारी मिली थी. जिसके बाद रीवा पुलिस सक्रिय हुई और एसपी गुरकरण सिंह के निर्देश पर विशेष टीम द्वारा गढ़ पुलिस के साथ सोनवर्षा गांव में दबिश दी गई और एमडी ड्रग्स के सप्लायर दो आरोपियों को दबोचा गया. आरोपी मण्डप सिंह पिता राकेश सिंह एवं ज्ञानभूषण शर्मा पिता बुद्धसेन शर्मा दोनो निवासी सोनवर्षा द्वारा भारी मात्रा में एमडी ड्रग्स मोटर साइकल में लेकर बिक्री के लिये जाने वाले थे. पुलिस ने दबिश देकर दोनो आरोपियों को धरदबोचा है, जिनके पास से 3087 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद किया गया है.

पकड़ी गई खेप की कीमत 10 करोड़ से अधिक

पकड़ी गई खेप की कीमत अर्न्तराज्यीय बाजार में 10 करोड़ आकी गई है. आरोपियों के पास से दो मोबाइल फोन भी जप्त किये गये है. दोनो के खिलाफ गढ़ थाने में धारा 8.22 एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है. पुलिस कंट्रोल रूम में पूरे मामले का खुलासा पुलिस अधीक्षक गुरकरण सिंह ने करते हुए बताया कि आरोपियों के पास से भारी मात्रा में एमडी ड्रग्स बरामद किया गया है. कई अहम जानकारी आरोपियों से मिली है, आगे की कार्यवाही की जा रही है.

एक बालिका कोलगवां सतना से, दूसरी सीधी से बाहर जाते समय बरामद

अमिलिया पुलिस ने किया दोनों नाबालिग को 8 घंटे में दस्तयाब

नवभारत न्यूज

सीधी, 7 जुलाई. थाना अमिलिया पुलिस ने त्वरित कार्यवाही में अपहरण/गुमशुदगी के 2 मामलों में दोनों नाबालिग को 8 घंटे में सकुशल दस्तयाब कर परिजनों को सौंप दिया।

तकनीकी साक्ष्यों से एक बालिका को कोलगवां सतना से और दूसरी को सीधी से बाहर जाते समय बरामद किया। थाना अमिलिया पुलिस ने गुमशुदगी/अपहरण के अलग-अलग मामलों में त्वरित कार्रवाई कर महज 08 घंटे के भीतर दोनों नाबालिग बालिकाओं को सकुशल दस्तयाब कर परिजनों के सुपुर्द किया। पुलिस के अनुसार पहले मामले में दिनांक 06 जुलाई 2026 को फरियादी ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनकी नाबालिग पुत्री सुबह घर से लापता हो गई है। परिजनों द्वारा तलाश के बाद भी पता न चलने पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला-फुसलाकर ले जाने की आशंका पर थाना अमिलिया में प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई। निरीक्षक राकेश बैस के नेतृत्व में पुलिस टीम एवं साइबर सेल ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर त्वरित दबिश देकर बालिका को कोलगवां, जिला सतना से 08 घंटे के भीतर सकुशल दस्तयाब किया। वैधानिक कार्रवाई उपरांत बालिका को परिजनों के सुपुर्द किया गया। इसी दिन एक अन्य प्रकरण में फरियादी ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी 17 वर्ष 05 माह की नाबालिग रिश्तेदार बिना बताए घर से चली गई है।

साइबर सेल की ली मदद

प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई। थाना प्रभारी के नेतृत्व में टीम एवं साइबर सेल ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बालिका को सीधी जिले से बाहर जाते समय 08 घंटे के भीतर सकुशल दस्तयाब कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई के बाद परिजनों को सौंपा। पहले मामले में उनि पुष्पेन्द्र सिंह, प्रआर अंजनी द्विवेदी, आरक्षक राहुल सिंह, संदीप चतुर्वेदी, दीपेन्द्र सिंह, मआर संगीता बैस एवं साइबर सेल टीम तथा दूसरे प्रकरण में सउनि पुरुषोत्तम पाठक, प्रआर मनोज सिंह, आरक्षक सतीश कुशवाहा, मआर संगीता बैस एवं साइबर सेल टीम की सराहनीय भूमिका रही।

बदले गए कई निरीक्षक-उपनिरीक्षक, कई थाना प्रभारी भेजे गए शहर से देहात

नवभारत न्यूज

रीवा, 7 जुलाई, जिले की कानून व्यवस्था में कसावट लाने के लिये पुलिस अधीक्षक डा. गुरकरण सिंह ने कई थाना प्रभारियों को इधर से उधर किया है. शहर के थाना प्रभारी भी प्रभावित हुए है.

ग्रामीण क्षेत्र में पदस्थ थाना प्रभारियों को शहर के थानों की कमान सौपी गई है. कार्यवाहक निरीक्षक एवं उपनिरीक्षक 19 बदले गये है. समान थाना प्रभारी विजय सिंह को गोंविंदगढ़ थाने की कमान सौपी गई है. वही हाल ही में चोरहटा से स्थानान्तरित होकर सेमरिया पहुंचे आशीष मिश्रा को समान थाना प्रभारी बनाया गया है. पुलिस लाइन में पदस्थ निरीक्षक सुशीला साकेत को अजाक थाना प्रभारी की कमान दी गई है. इसी तरह पुलिस लाइन में पदस्थ ऊषा सोमवंशी को प्रभारी महिला सुरक्षा शाखा बनाया गया है. पुलिस लाइन में पदस्थ उपनिरीक्षक मनोज गौतम को शहर के मध्य स्थित अमहिया थाना प्रभारी बनाया गया है. जबकि यहा से शिवा अग्रवाल को थाना सेमरिया का प्रभारी बनाया गया है. जनेह थाना प्रभारी कन्हैया सिंह बघेल को पनवार थाना प्रभारी, गोविंदगढ़ थाना प्रभारी अरविंद सिंह राठौर को थाना प्रभारी जवा बनाया गया है. लम्बे समय से गुढ़ थाने में पदस्थ शैल यादव को लालगांव चौकी प्रभारी बनाया गया है. पुलिस लाइन में पदस्थ पुष्पेन्द्र यादव को गुढ़ थाने की कमान सौपी गई है. सिरमौर थाने में पदस्थ दीपक तिवारी को थाना प्रभारी सगरा, जबकि सगरा से अंकिता मिश्रा को हटाकर बिछिया थाने का प्रभारी बनाया गया है. प्रवीण उपाध्याय पनवार थाना प्रभारी को जनेह थाने की कमान सौपी गई है. लालगांव चौकी प्रभारी प्रशांत शुक्ला को इनाम देते हुए थाना प्रभारी सिरमौर बनाया गया है. लम्बे समय से बिछिया थाने में पदस्थ मनीषा उपाध्याय को सिविल लाइन थाने की कमान सौपी गई है. जवा में पदस्थ शैलेन्द्र सिंह को थाना सोहागी, मिथिलेश यादव को थाना समान पदस्थ किया गया है.

सतना जिले में अब तक 170.2 मिमी. औसत वर्षा दर्ज

सतना 7 जुलाई. जिले में इस वर्ष 1 जून से 7 जुलाई तक 170.2 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई है। अधीक्षक भू-अभिलेख सतना से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक जिले की सतना (रघुराजनगर) तहसील में 289.7 मि.मी., सोहावल (रघुराजनगर) में 194.9 मि.मी., बरौंधा (मझगवां) में 125.2 मि.मी, बिरसिंहपुर में 196.3 मि.मी., रामपुर बाघेलान में 173.2 मि.मी., नागौद में 182.8 मि.मी., जसो (नागौद) में 41.7 मि.मी. दर्ज की गई.

भारतीय खाद्य निगम
क्षेत्रीय कार्यालय, चेतक भवन महाराणा प्रताप नगर, भोपाल 462011- (म.प्र.) phone:0755-2573444, FAX: 0755-2573418, E-mail:- gmmp@fci.gov.in

ROMP-20016/1/2025-Coord-ROMP /369536 Date-05.06.2026

निविदा आमंत्रण सूचना

मध्य प्रदेश क्षेत्र में एक वर्ष की अवधि के लिए प्रति मीट्रिक टन के आधार पर एफसीआई के निर्दिष्ट प्रेषण डिपो से नामित प्राप्ति डिपो तक डोर-टू-डोर डिलीवरी के आधार पर कंटेनरीकृत वैगनों में खाद्यान्न के परिवहन के लिए सेवा प्रदाता की नियुक्ति के लिए Government E Marketing Portal (URL:https://gem.gov.in) पर online प्रस्ताव आमंत्रित किये गये है। निविदा के बारे में विस्तृत विवरण वेबसाइट www.fci.gov.in & www.gem.gov.in पर उपलब्ध विस्तृत एनआईटी एवं एमटीएफ में देखा जा सकता है। किसी विवाद की स्थिति में निविदा आमंत्रण सूचना का अंग्रेजी रूपांतरण मान्य/वैध होगा।

महाप्रबंधक (क्षेत्र)

गुमशुदा की तलाश

थाना-चौकी जयंत थाना विंध्यनगर जिला सिंगरौली म.प्र.

गुम इंसान क्रं.:- 11/2026

दिनांक :- 07.03.2026

नाम पता गुमशुदा:- फरहत जहाँ पति अरमान शाह उम्र 30 वर्ष निवासी सेक्टर बी दुद्धिचुआ जयंत थाना विंध्यनगर जिला सिंगरौली (म.प्र.) **हुलिया:-** चेहरा गोल, बदन दोहरा रंग-गोरा, कद-04 फिट 09 इंच, पहनावा - आसमानी कलर का टाप ग्रे कलर का जींस पैंट एवं सफेद रंग का दुपट्टा पैर में जूते पहने है। जो दिनांक 07.03.2026 को शाम करीबन 07:30 बजे से लापता है मिलेन पर सूचित करने का कष्ट करे:- चौकी जयंत थाना विंध्यनगर जिला सिंगरौली म.प्र. को सूचित करे।

मिलने पर निम्नलिखित नंबरों पर सम्पर्क करें:-

थाना प्रभारी विंध्यनगर मो.नं.-7049134097,
चौकी प्रभारी जयंत मों.- 7566839259,
जांचकर्ता अधिकारी मो.नं.- 7049134389
पुलिस कन्ट्रोल रूम सिंगरौली म.प्र. 7049134457

थाना प्रभारी थाना विन्ध्यनगर जिला सिंगरौली (म.प्र.)

मानव कंकाल पर गरमाई चुरहट की सियासत

नवभारत न्यूज

सीधी, 7 जुलाई. चुरहट थाना क्षेत्र के ग्राम कोष्टा में 30 जून को मिले मानव कंकाल के मामले ने पूरे जिले में सनसनी फैला दी है।

उधर इस मामले में पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कांग्रेस द्वारा थाने का घेराव किए जाने की चेतावनी दी है। घटना को लेकर परिजनों का दावा है कि कंकाल चुरहट विधानसभा क्षेत्र के ग्राम टीकट खुर्द मवई निवासी राजराखन साकेत की लापता पुत्री का है। मामले को लेकर परिजनों ने पुलिस पर समय से एफआईआर दर्ज नहीं करने और लापरवाही बरतने के आरोप लगाए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक संतोष कोरी स्वयं घटनास्थल पहुंचे और जांच की प्रगति का जायजा लिया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि फिलहाल कंकाल की पहचान केवल भौतिक साक्ष्यों के आधार पर की गई है, जो अंतिम और निर्णायक नहीं मानी जा सकती। एसपी ने बताया कि कंकाल का डीएनए सैंपल जांच के लिए भेज दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद डीएनए मिलान के आधार पर ही मृतक की पहचान की पुष्टि होगी और उसी के अनुसार आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि कई मामलों में प्रारंभिक भौतिक पहचान बाद में गलत साबित हुई है, इसलिए वैज्ञानिक जांच का इंतजार करना आवश्यक है। एफआईआर दर्ज करने में देरी के आरोपों पर एसपी ने स्पष्ट किया कि पुलिस कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई करती है। उन्होंने बताया कि गुमशुदगी या अपराध का मामला पीड़िता की अंतिम लोकेशन के आधार पर दर्ज किया जाता है।

कांग्रेस आज करेगी चुरहट थाने का घेराव-

मानव कंकाल मिलने के मामले को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी ने 8 जुलाई को चुरहट थाने के घेराव की घोषणा की है। कांग्रेस का कहना है कि पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने और पुलिस की कार्यप्रणाली के विरोध में यह लोकतांत्रिक आंदोलन आयोजित किया जा रहा है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष एवं चुरहट विधायक अजय सिंह राहुल के निर्देश पर बुधवार सुबह 11 बजे हार्दिहा रोड स्थित शिव विद्यालय के सामने से रैली निकालकर चुरहट थाने का घेराव किया जाएगा।

हाईकोर्ट का फर्जी वीडियो वायरल करने वाला आरोपी गिरफ्तार

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 7 जुलाई। म.प्र. हाईकोर्ट की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का असत्य वीडियो बनाकर उसमें न्यायालय के प्रति अभद्र टिप्पणी कर सोशल मीडिया पर वायरल करने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

आरोपी की पहचान पिपरझापी निवासी 26 वर्षीय अमित कुमार तिवारी के रूप में हुई है।पुलिस के अनुसार आरोपी ने हाईकोर्ट जबलपुर की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ा फर्जी वीडियो तैयार कर उसे अपने फेसबुक और एक्स ट्विटर अकाउंट पर प्रसारित किया था। मामले का स्वत: संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने 6 जुलाई को कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद थाना सिविल लाइन में दर्ज प्रकरण को विवेचना के लिए थाना बैढ़न भेजा गया, जहां भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं तथा आईटी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया।

CAPRI GLOBAL CAPITAL LIMITED

कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड
पंजीकृत और कॉर्पोरेट कार्यालय 502, टॉवर-ए, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई-400013, सर्कल ऑफिस पता - 9बी, द्वितीय तल, पूसा रोड, नई दिल्ली - 110060

मांग नोटिस

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3(1) के अंतर्गत, अधोहस्ताक्षरी, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (उक्त अधिनियम) के अंतर्गत कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड (CGCL) के प्राधिकृत अधिकारी हैं। प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत डिमांड नोटिस जारी किए हैं, जिसमें निम्नलिखित उधारकर्ता(ओं) ("उक्त उधारकर्ता(ओं)") को उन्हें जारी किए गए संबंधित डिमांड नोटिस में उल्लिखित राशियों को चुकाने के लिए कहा गया है, जो नीचे भी दिए गए हैं। उपरोक्त के संबंध में, उक्त ऋणी(यों) को एक बार फिर सूचित किया जाता है कि वे इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर, नीचे उल्लिखित राशियाँ, साथ ही नीचे उल्लिखित तिथि(यों) से भुगतान और/या वसूली की तिथि तक लागू ब्याज, उक्त ऋणी(यों) द्वारा निष्पादित अन्य दस्तावेजों/लेखों, यदि कोई हों, के साथ पठित ऋण समझौते के अंतर्गत देय, सीजीसीएल को अदा करें। ऋण की उचित अदायगी हेतु प्रतिभूति के रूप में, उक्त ऋणी(यों) द्वारा निम्नलिखित संपत्तियाँ क्रमशः सीजीसीएल के पास गिरवी रखी गई हैं।

स. क्र.	उधारकर्ता (ओं)/ गारंटर (ओं) का नाम (श्री/श्रीमती/सुश्री/मेसर्स)	मांग नोटिस की तिथि और राशि	सुरक्षित संपत्ति का विवरण (अचल संपत्ति)
1.	(ऋण खाता सं.) LNMESN1000162410 (पुराना) 80300005859591 (नया) (सतना ब्रांच) स्वर्गीय मो. नईम सौदागर (उधारकर्ता) जियाउल हक, अरबी बानो (सह-उधारकर्ता)	29.06.2026 रू. 22,56,743/- (01.06.2026 तक)	"जमीन और इमारत वाली पूरी प्रॉपर्टी का विवरण: आराजी ख.नं.- 308/1/3, क्षेत्रफल 880 वर्ग फीट, जमीन UID नं. 1272838994, वार्ड न. 13, साई टोला, गाँव- अमरपाटन, पीएच- अमरपाटन, पीएच नं.-26, RNM/ब्लॉक/तहसील-अमरपाटन, ज़िला- मैहर, सतना, म.प्र., 485775। प्रॉपर्टी की सीमाएँ:- उत्तर - खदान, दक्षिण - सड़क, पूर्व - गोदाम, पश्चिम - पीर मोहम्मद का घर।"

यदि उक्त उधारकर्ता सीजीसीएल को पूर्वोक्त भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो सीजीसीएल अधिनियम की धारा 13(4) और लागू नियमों के अंतर्गत उपरोक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगा, जिसकी लागत और परिणामों का जोखिम पूरी तरह से उक्त उधारकताओं का होगा। अधिनियम के तहत, उक्त उधारकताओं को सीजीसीएल की पूर्व लिखित सहमति के बिना, बिक्री, पट्टे या अन्यथा, उपरोक्त परिसंपत्तियों को हस्तांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है। कोई भी व्यक्ति जो उक्त अधिनियम के तहत बनाए गए एक्टर नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन के लिए उकसाता है, उसे अधिनियम के तहत कारावास और/या दंड का सामना करना पड़ेगा।

स्थान: सतना
दिनांक: 08.07.2026

एसडी/- (प्राधिकृत अधिकारी)
कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड (सीजीसीएल) के लिए

सोन नदी से बस्ती में पहुंचा मगरमच्छ, वन अमले ने सुरक्षित किया रेस्क्यू

नवभारत न्यूज

चितरंगी 7 जुलाई। चितरंगी क्षेत्र के सोन घड़ियाल अभयारण्य अंतर्गत पनवार गांव में आज मंगलवार की सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब सोन नदी से निकलकर एक मगरमच्छ आबादी वाले क्षेत्र में पहुंच गया।

सुबह करीब 5 बजे स्थानीय लोगों ने अपने घरों के पास मगरमच्छ को विचरण करते देखा। अचानक मगरमच्छ के दिखाई देने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई। हालांकि लोगों ने सूझबूझ का परिचय देते हुए उसके पास जाने के बजाय तत्काल सोन घड़ियाल रेस्क्यू टीम को सूचना दी। सूचना मिलते ही सोन घड़ियाल अभयारण्य की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और आवश्यक सुरक्षा इंतजामों के बीच मगरमच्छ को पकड़ने की कार्रवाई शुरू की। टीम ने काफी सावधानी और विशेषज्ञता के साथ मगरमच्छ का सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर मौजूद रहे, लेकिन वन अमले ने सभी को सुरक्षित दूरी बनाए रखने की सलाह दी। रेस्क्यू के बाद मगरमच्छ को सुरक्षित वाहन के माध्यम से चितावल पुल के समीप सोन नदी के उपयुक्त प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया गया, ताकि वह अपने प्राकृतिक वातावरण में विचरण कर सके। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि बरसात के मौसम में जलस्तर बढ़ने और नदी के प्रवाह में बदलाव के कारण मगरमच्छ कभी-कभी आबादी वाले क्षेत्रों की ओर पहुंच जाते हैं। वन विभाग ने ग्रामीणों से अपील की है कि यदि कहीं मगरमच्छ या अन्य वन्यजीव दिखाई दें तो घबराएं नहीं और न ही उन्हें छेड़ने का प्रयास करें। तत्काल वन विभाग या सोन घड़ियाल रेस्क्यू टीम को सूचना दें, जिससे समय रहते सुरक्षित रेस्क्यू किया जा सके और किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। रेस्क्यू के दौरान रेंजर चतुर सिंह, शुभम सिंह, लक्ष्मण सहित अन्य मौजूद रहे।

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्रा.लि. हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा. लि. के लिए मुद्रक, प्रकाशक आशीष श्रोती द्वारा प्लाट नं.34, इंडस्ट्रियल एरिया, सतना से प्रकाशित एवं नवभारत प्रेस भोपाल प्रा.लि., इंडस्ट्रियल एरिया से मुद्रित. संपादक- संजय पयासी* फोन- 250587, फैक्स- 224642 * समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अन्तर्गत जिम्मेदार RNI Reg. No. 72181/99